

# FORM NO. |||

फर्द अहकाम  
नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....

.....लड्डू लाल बनाम.....सरकार  
किस्म मु०.....मिसल न०.....43/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	---

16/9/25 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी लड्डू पुत्र मंगला ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम कल्याण पुत्र बूचिया नि० उम्मेदपुरा नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2076 से 79 मुताबिक खसरा नंबर 63 में काशतगार का नाम लड्डू पुत्र मंगला दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम लड्डू पुत्र मंगला के स्थान पर लड्डू लाल पुत्र मंगला नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक ..... 18/9/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

